



## कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(जलापूर्ति शाखा)

कचहरी रोड, राँची - 834001

ईमेल आई डी:- support@ranchimunicipal.com


पत्रांक:- 198/1055

दिनांक:- 16.3.18

### प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल संयोजन वाले सभी उपभोक्ताओं, जो वाटर मीटर नहीं लगाये हैं, को सूचित किया जाता है कि :-

1. अपने जल संयोजन में वाटर मीटर लगाना हर हाल में सुनिश्चित करें एवं मीटर लगने के पश्चात वाटर मीटर अधिष्ठापन फॉर्म भरकर दिनांक 15-04-2018 तक निश्चित रूप से निगम कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा पानी नहीं मिलने की स्थिति में भी फिक्सड दर पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत दण्ड शुल्क के साथ प्रतिमाह बिल लिया जाएगा।
  2. अवैध जल संयोजन को रु० 1,000/- दण्ड शुल्क जमा कर वैध करवा लें अन्यथा रु० 10,000/- रूपये दण्ड वसूला जाएगा।
  3. अपने बकाया बिल का भुगतान अनिवार्य रूप से जल्द से जल्द करें।
- नोट:- उपरोक्त बिंदुओं पर भुगतान एवं अनुपालन की अवधि 15-04-2018 तक मान्य होगा एवं विलम्ब के लिए आपलोग स्वयं जिम्मेवार होंगे। इस सूचना को राँची नगर निगम के वेबसाईट [www.ranchimunicipal.com](http://www.ranchimunicipal.com) पर भी देखा जा सकता है।

  
नगर आयुक्त,  
राँची नगर निगम, राँची।  
15/3/18